

आवेदन संबंधी दिशा निर्देश:-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 23/12/2024 तक पंजीकृत डाक (स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्ट्री) के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे।
2. आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम (Name of Post) एवं कार्यक्रम का नाम (Name of Programme) जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग (Category) स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
3. आवेदक, आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाखा-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रजगामार रोड कोसाबाड़ी चौक, जिला -कोरबा छ.ग. पिनकोड- 495677 छ.ग. के नामें प्रेषित करें।
4. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपने स्वयं का वैध मोबाईल नंबर एवं ई-मेल व स्थानीय/वर्तमान पता भरें। जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क/पत्राचार किया जा सके।
6. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है।
7. 01 जनवरी 2024 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु तथा 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु होना चाहिए, आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2024 की स्थिति में की जावेगी।
8. Security Personnel पद हेतु आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति में सीमा 21 से 40 वर्ष होगी तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष की छूट होगी।
9. Community Health Officer पद हेतु आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 के अनुसार संगत दिव्यांगता/ निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे। OL (एक पैर), OA (एक हाथ) दिव्यांग/ निःशक्तजन ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

चयन प्रक्रिया:-

11. पद ANM- NHM एवं ANM-RBSK हेतु शैक्षणिक योग्यता के 60 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक/मितानिन कार्य अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनायी जावेगी। (एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक, मितानिन कार्य अनुभव के प्रतिपूर्ण वर्ष 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक प्रदाय किये जावेंगे।) 20 अंको के लिखित या कौशल या साक्षात्कार लिया जावेगा।
12. पद Radiographer, Laboratory Technician Ophthalmic Assistant हेतु 12वीं कक्षा के 30 प्रतिशत अंक एवं तकनीशियन संबंधित पाठ्यक्रम के 35 अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची तैयार की जावेगी। (एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति पूर्ण वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को प्रति पूर्ण वर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक प्रदाय किये जावेंगे।) 20 अंको के लिखित या कौशल या साक्षात्कार लिया जावेगा।
13. शेष पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता के 65 प्रतिशत अंक एवं अनुभव के अंको को जोड़कर वरीयता सूची बनायी जावेगी। (एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति पूर्ण वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को प्रति पूर्ण वर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक प्रदाय किये जावेंगे।) 20 अंको के लिखित या कौशल या साक्षात्कार लिया जावेगा।

126

4

14. आयोजित लिखित या कौशल या साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक दस्तावेज:-

15. आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे :-
 01. 10वीं की अंकसूची (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु)
 02. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों की अंक सूची/संबंधित डिग्री/इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र।
 03. Community Health Officer पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
 04. फिजियोथैरेपिस्ट एवं ऐसे पद जिनमें छ.ग. कॉन्सिल पंजीयन का जीवित प्रमाणपत्र मांगा गया है, प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 05. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)।
 06. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय मूल निवास प्रमाण पत्र।
16. उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
17. अनुभव प्रमाण पत्र केवल केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय संस्था के पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक पूर्ण वर्ष के मान से 02 अंक अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जावेगा। (एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति पूर्ण वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदाय किया जावेगा।)
18. ए.एन.एम. पद पर प्रशिक्षित मितानिन एवं मितानिन प्रशिक्षक के रूप में मिशन संचालक रा.स्वा.मि. के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./2018/591/922 रायपुर, दिनांक 30.06.2018 के अनुसार कार्य अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक प्रदाय किया जावेगा। मितानिन कार्य अनुभव प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर छ.ग. का ही मान्य होगा।
19. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव के अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।
20. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें अंकों की गणना ग्रेडिंग के आधार पर की गई है, उनके साथ गणनापत्रक संलग्न करना अनिवार्य है। गणनापत्रक संलग्न नहीं होने की स्थिति में अंको का निर्धारण चयन समिति द्वारा किए गए निर्णयानुसार अंक प्रदाय किया जावेगा, जो कि सर्वमान्य होगा। जिसके लिए कोई वाद दायर नहीं होगा।
22. अवर सचिव छ.ग. शासन स्वा.एवं परिवार कल्याण आदेश पत्र पृ.क्र. एफ1-67/2021/17/1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.12.2021 के दिए गए आदेश के परिपालन में केवल कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वा.संस्थाओं में नियुक्ति एवं 06 माह से लगातार सेवा देने वाले एस.डी.आर.एफ./डी.एम.एफ./सी.एस.आर. मद अंतर्गत कार्यरत अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों का अनुभव (नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र) चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय मान्य किया जावेगा। ऐसे आवेदक जिनके पास कोविड-19 में छः माह तक लगातार कार्य करने के अनुभव एवं अन्य कार्य के अनुभव (समान पद) के अंक रखते हैं, ऐसे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंक का लाभ दिया जावेगा। आवेदकों को कोविड कार्य के अनुभव अथवा अन्य अनुभव के अंक, जो अधिकतम हो प्रदाय किया जावेगा।
23. Community Health Officer के रूप में कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि रु. 16500/- (रु. सोलह हजार पांच सौ मात्र) वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य -प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 15000/- (रु. पंद्रह हजार मात्र) तक दी जायेगी। इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।
24. Community Health Officer पद हेतु आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ format-1 प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

196.

5

25. निम्नलिखित तालिका अनुसार अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार आहुत की जावेगी।

सं.क.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्कीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

26. दस्तावेज सत्यापन एवं परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को लिखित या कौशल परीक्षा के समय आवेदन के साथ संलग्न किए समस्त मूल दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेज के अभाव में साक्षात्कार/लिखित/कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति व भर्ती प्रक्रिया की अग्रिम कार्यवाही में शामिल नहीं किया जावेगा।
27. अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन में असत्य पाये जाने पर संबंधित को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा चयन से निरस्त किया जा सकता है। जिसके लिये किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
28. दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समयावधि पश्चात् किये गये आपत्ति आवेदन अमान्य होगा तथा चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिसके विरुद्ध कोई अपील/शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देशः—

29. विज्ञापित समस्त पद पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति नियम 2018 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे।
30. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों कि जांच कि जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
31. संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
32. उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2025 तक के लिये होगी, कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
33. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
34. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
35. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
36. उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा।
37. अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से अगामी न्यूनतम एक वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी।
38. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष, चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा। तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
39. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाए।
40. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय देय नहीं होगा।
41. दस्तावेज सत्यापन अथवा लिखित/कौशल परीक्षा या साक्षात्कार हेतु आवेदक का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्राधिकृत आवेदक के किसी भी प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने पर कार्य के प्रति रुचि नहीं मानते हुए उस आवेदक का भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जावेगा।

19/6